<u>उत्तराखंड उच्च न्यायालय</u>

<u>नैनीताल</u>

<u>रिट याचिका संख्या - 541 सन 2019 (एमएस)</u>

अंजुम फैजा। .....याचिकाकर्ता

बनाम.

उत्तराखंड राज्य और अन्य। ..... प्रत्यर्थी ।

उपस्थित :-

श्री डॉ. के. एच. गुप्ता, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

श्री गजेन्द्र त्रिपाठी, उत्तराखंड राज्य के लिए संक्षिप्त धारक ।

श्री एन. एस. पुंडीर, प्रत्यर्थी संख्या 2 के अधिवक्ता।

श्री एम. एस. भंडारी, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या 6 के लिए अधिवक्ता श्री पंकज पुरोहित के संक्षिप्त धारक, ।

<u>माननीय आलोक सिंह, जे.</u>

1. याचिकाकर्ता देहरादून का निवासी है। उसने प्रत्यर्थी विभाग से अपने घर के लिए घरेलू बिजली कनेक्शन लिया। प्रत्यर्थी विभाग ने मीटर की जांच की और पाया कि मीटर के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी। याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी विभाग को सूचित किया कि एक वसीम उसके घर आया और सारी शरारत की। प्रत्यर्थी विभाग ने चोरी के लिए प्राथमिकी दर्ज कराई। याचिकाकर्ता ने चोरी के आरोपों से इनकार किया। प्रत्यर्थी विभाग ने याचिकाकर्ता को रु. ५१, ३६०/- का अनंतिम मूल्यांकन भेजा। याचिकाकर्ता ने 17.06.2017 को अनंतिम मूल्यांकन पर आपत्ति दायर की। आज तक, अंतिम मूल्यांकन आदेश पारित नहीं किया गया है, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग ने बिजली काट दी और उत्तर प्रदेश सरकार विद्युत उपक्रम (बकाया वसूली) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत एक मांग नोटिस भेजा। पीड़ित महसूस करते हुए, याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

2. श्री (डॉ) के एच गुप्ता, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, श्री गजेन्द्र त्रिपाठी, उत्तराखंड राज्य के संक्षिप्त धारक, श्री एन एस पुंडीर, प्रत्यर्थी संख्या 2 के अधिवक्ता और श्री एम एस भंडारी, श्री पंकज पुरोहित प्रत्यर्थी संख्या 6 के अधिवक्ता के संक्षिप्त धारक, ।

3. श्री के. एच. गुप्ता, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि अंतिम मूल्यांकन आदेश पारित किए बिना एक मांग नोटिस जारी किया गया था। इसके अग्रेतर उन्होंने **होटल द अमारिस बनाम उत्तराखंड राज्य और 2015 (2) यूडी 183** में रिपोर्ट किए गए मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर अवलम्ब किया है, जिसके द्वारा इस न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अंतिम मूल्यांकन आदेश पारित करने से पहले व्यक्तिगत सुनवाई आवश्यक है।

4. विद्युत अधिनियम, 2003 का खंड 126 इस प्रकार हैः"धारा 126-निर्धारणः

> (1) यदि किसी स्थान या परिसर के निरीक्षण पर या किसी व्यक्ति द्वारा रखे गए उपकरणों, गैजेट्स, मशीनों, उपकरणों के निरीक्षण के बाद या किसी व्यक्ति द्वारा रखे गए अभिलेखों के निरीक्षण के पश्चात निर्धारण अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ऐसा व्यक्ति बिजली के अनधिकृत उपयोग में लिप्त है, तो वह ऐसे व्यक्ति द्वारा या ऐसे उपयोग से लाभान्वित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देय बिजली प्रभारों का अनंतिम रूप से सर्वोत्तम निर्णय लेगा।
>
> (2) अनंतिम मूल्यांकन का आदेश अधिभोग या कब्जे वाले व्यक्ति या उस स्थान या परिसर के प्रभारी पर ऐसी रीति से तामील किया जाएगा जो विहित की जाए।
>
> [(3) वह व्यक्ति, जिस पर उपधारा (2) से आदेश तामील किया गया है, निर्धारण अधिकारी के समक्ष अनंतिम निर्धारण के विरुद्ध आपत्तियां, यदि कोई हों, फाइल करने का हकदार होगा, जो ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति द्वारा देय बिजली प्रभारों के अनंतिम निर्धारण के आदेश पश्चात तामील पश्चात तिथि से तीस दिन के भीतर निर्धारण का अंतिम आदेश पारित करेगा।
>
> (4) कोई भी व्यक्ति अनंतिम आकलन के आदेश के साथ सेवा कर सकता है, इस तरह के आकलन को प्रतिग्रहण करना कर सकता है और निर्धारित राशि

को उस पर इस तरह के अनंतिम आकलन आदेश की सेवा के सात दिनों के भीतर लाइसेंसी के पास जमा कर सकता है।

(5) यदि निर्धारण अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बिजली का अनधिकृत उपयोग हुआ है, तो यह आकलन उस पूरी अवधि के लिए किया जाएगा जिसके दौरान बिजली का ऐसा अनधिकृत उपयोग हुआ है यद्यपि यदि उस अवधि के दौरान बिजली का ऐसा अनधिकृत उपयोग हुआ है, जिसके दौरान इसका पता नहीं लगाया जा सकता है, तो ऐसी अवधि निरीक्षण की तिथि से ठीक पहले बारह महीने की अवधि तक सीमित होगी।

(6) इस खंड से निर्धारण उपखंड (5) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के सुसंगत प्रवर्ग के लिए लागू प्रशुल्क [दोगुना के बराबर दर पर किया जाएगा।

व्याख्या: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -

(क) " निर्धारण अधिकारी " से किसी राज्य सरकार या बोर्ड का अधिकारी या अनुज्ञप्तिधारी अभिप्रेत है

(ख) " विद्युत के अनधिकृत उपयोग " से विद्युत का उपयोग अभिप्रेत है -

(i) किसी कृत्रिम साधनों द्वारा, या

(ii) संबंधित व्यक्ति या प्राधिकारी या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राधिकृत न किए गए साधनों द्वारा, या

(iii) छेड़छाड़ किए गए मीटर के माध्यम द्वारा या

[(iv) उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए विद्युत का उपयोग प्राधिकृत किया गया था, अथवा

(v) उन परिसरों या क्षेत्रों के अलावा जिनके लिए बिजली की आपूर्ति अधिकृत की गई थी.

5. धारा 126 की उप-धाराओं (3) और (4) के अवलोकन से पता चलता है कि अनंतिम मूल्यांकन प्राप्त करने के पश्चात इस तरह के उपयोग से लाभान्वित उपभोक्ता या ऐसे व्यक्ति को उस पर तामील के सात दिनों के भीतर या तो इसे स्वीकार करने या निर्धारित राशि को जमा करने या

अनंतिम मूल्यांकन के लिए अपना जवाब या आपत्ति दर्ज करने की छूट होगी और यदि ऐसा जवाब आपत्ति दायर की जाती है तो निर्धारण अधिकारी उपभोक्ता या ऐसे उपयोग से लाभान्वित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के बाद अंतिम आदेश पारित करेगा। यदि उपभोक्ता या इस तरह के उपयोग से लाभान्वित व्यक्ति अंतिम आकलन के माध्यम से अभी भी व्यथित महसूस करता है, तो वह विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 127 के से के अंतर्गत वैधानिक अपील कर सकता है।

6. प्रत्यर्थी नं. २ के अधिवक्ता श्री एन एस पुंडीर ने प्रस्तुत किया कि याची को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात दो सप्ताह के भीतर अंतिम मूल्यांकन आदेश पारित किया जाएगा।

7. चूंकि अंतिम मूल्यांकन आदेश पारित करने से पहले व्यक्तिगत सुनवाई अनिवार्य है, जो वर्तमान मामले में नहीं किया गया था, इसलिए 24.01.2018 और 15.05.2018 के आक्षेपित आदेश रद्द किए जाने योग्य हैं, क्योंकि यह अंतिम मूल्यांकन आदेश जारी किए बिना पारित किया गया है। तदनुसार, दिनांक 24.01.2018 और 15.05.2018 के आक्षेपित आदेश इसके द्वारा रद्द किए जाते हैं। याचिकाकर्ता या उसका प्रतिनिधि 11 मार्च, 2019 को आकलन अधिकारी के समक्ष पेश होगा, उसके बाद वह अंतिम आकलन आदेश पारित करेगा।

8. तदनुसार रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(आलोक सिंह, जे.)

05.03.2019

एसकेएस